



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, RajasthanWebsite: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdadmncce@gmail.com

Ph. NO. 0141-2702247(O)

क्रमांक-एफ-1(05)पीएस/आकाशि/2022/ 44

आदेश

दिनांक- 31-03-2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 में उत्तीर्ण निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (युप-3) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के द्वारा इस विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत निजी सहायक ग्रेड-II के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिये परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 23,700/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या L-10 पर निम्नलिखित शर्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	भेरिट नम्बर	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता (श्री/श्रीमती/सुश्री)	अनुसूचित क्षेत्र		अभ्यर्थी की फोटो	आवंटित जिला	नियुक्ति हेतु आवंटित महाविद्यालय/कार्यालय का नाम
			जन्मतिथि	वर्ग			
1	6217	देशराज सिंह चौहान पुत्र श्री सूर्य सिंह चौहान, ग्राम-पारडा मौरू, पोस्ट-बगोरी, तह.-सागवाड़ा, झुंजरपुर (राज.) पिन-314031	25.12.1990	GEN		उदयपुर	राजकीय महाविद्यालय, झाड़ोल

क्र. सं.	भेरिट नम्बर	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता (श्री/श्रीमती/सुश्री)	गैर अनुसूचित क्षेत्र		अभ्यर्थी की फोटो	आवंटित जिला	नियुक्ति हेतु आवंटित महाविद्यालय/कार्यालय का नाम
			जन्मतिथि	वर्ग			
1.	469	जय खन्ना पुत्र श्री पुनीत खन्ना, सी-44 परनामी मंदिर के पास, राजापार्क, जयपुर पिन-302004	04.02.2000	GEN		जयपुर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर
2.	775	रघुनन्दन ब्रह्ममट्ट पुत्र श्री फूल चन्द ब्रह्ममट्ट, चारभुजा मंदिर के पीछे, फानी जिला-जयपुर पिन-303005	31.07.1998	OBC		जयपुर	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं :-

- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर ऊपर वर्णित तालिका में अपने नाम के सामने अंकित महाविद्यालय/कार्यालय में पद का कार्यभार ग्रहण कर लेवें। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित कर दें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जायेगा।
- जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही बतन भत्ते दय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006, एफ-12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफडी 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006, एफ-6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ-16(2)एफडी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ-14(1) एफडी/रूल्स/2009 दिनांक 12.10.2009 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष जतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। परीक्षा काल में कोई कटौतियां यथा जीपीएफ एवं एसआई नहीं की जायेगी।
- राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन सेवा लीम देय होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा लीम देय होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Sun, Sharma
Designation, Commissioner
Date: 2023.03.29 17:27:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. 3528266



5. उक्त नियुक्तियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ-11/एसटी/एससी/ओबीसी एसबीसी/जा0प्र0प0/सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/ सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अग्रथिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/- रुपये सममूल्य के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सत्य हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना कूटरचित एवं अप्रमाणिक पाये जाने पर नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी एवं प्रार्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
9. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
10. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
11. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निजी सहायक ग्रेड-II के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L-10 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
12. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शीट प्रतिलिपिक भर्ती परीक्षा-2018 के लिये निर्धारित मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
16. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलगन मेडिकल, कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-15(1)डीओपी/ए-11/74, दिनांक 01.01.1975 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

दिनांक- 31-03-2023

क्रमांक-एफ-1(05)पीएस/आकाशि/2022/

44

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1- अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(4)प्र.सु./अनु-3/2022 जयपुर, दिनांक 13-01-2023 के संदर्भ में।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
- 5- मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 6- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 7- निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 8- संयुक्त निदेशक, एचआरडी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
- 9- सम्बन्धित प्राचार्य -कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तथा उनके द्वारा जन्मतिथि शैक्षणिक योग्यता, जाति, विवाह एवं सन्तान आदि के मूल कागजात पेश पर नियुक्ति सम्बन्धी मूल आवेदन पत्र के साथ लगे कागजातों की प्रतियों का मिलान करके ही कार्यभार ग्रहण करने दिया जावे। इनका मूल आवेदन पत्र मय संलग्नकों की प्रति के संलग्न किया जा रहा है (संलग्न - एक सेट)।
- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राचार्य महोदय को प्रस्तुत करें तथा नियुक्ति सम्बन्धी मूल आवेदन पत्र के साथ लगाये गये जन्मतिथि, योग्यता, जाति आदि के कागजातों की प्रतियों का मिलान करने हेतु मूल कागजात साथ लेकर जावे।
- 11- स्थापना शाखा/केंद्र शाखा/गोपनीय शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 12- वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 13- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.03.29 17:27:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3528266

